न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 18 / 2025(GCMS 2025/206)

श्री लक्ष्य गहलोत पुत्र श्री उमाशंकर गहलोत निवासी वार्ड नं. [illegible] कोयला गली, बीकानेर

<u>**बनाम**</u>

तहसीलदार (राजस्व), रावला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>30.06.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी लक्ष्य गहलोत स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), रावला से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2024 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लक्ष्य गहलोत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. शिवशंकर गहलोत द्वारा प्रस्तुत घरेलू समझोता संबंधित कृषि भूमि का बंटवारानाम शपथ पत्र जिसमें किस वारिस को कौन सा किला घरेलू समझौते के तहत मिला है, प्रस्तुत किया हो, तो उपलब्ध करवाया जाए।
2. दिनांक 28.02.20[illegible] संबंधित जो भी आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] द्वारा तहसीलदार महोदया उप तहसीलदार महोदय को [illegible] गये है, उससे संबंधित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. दिनांक 30.08.2024 को कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), रावला, अनूपगढ़ से प्राप्त नोटिस क्रमांक राजस्व/2024/647 से संबंधित क्या कार्यवही की गई? उक्त नोटिस से सम्बन्धित जो भी कार्यवाही की गई, उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवायी जावे।
4. दिनांक 03.09.2024 को इस नोटिस से सम्बन्धित जो रिपोर्ट तैयार की गई उस वक्त मौके (कृषि भूमि वाके ग्राम चक 8 डीओएल''बी'' पटवार हल्का 10 डीओएल भू.आ.नि. क्षे. 8 पीएसडी ''बी'' तहसील रावला पर कौन कौन सदस्यगण उपस्थित हुए?
5. तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय दिनांक 03.09.2024 को किस समय के दौरान मौके (कृषि भूमि वाके ग्राम 8 डी.ओ.एल. ''बी'' पटवार हल्का 10 डी.ओ.एल. भू.अ.नि.क्षेत्र पीएसडी बी तहसील रावला) की रिकॉर्ड स्थिति जाचंने गए, वह समय या ड्येरेशन बताया जाए?
6. क्या राजेन्द्र कुमार के बयान रिपोर्ट में नोट(लिखे) किए गए?
7. क्या राजेन्द्र कुमार के बयान रिपोर्ट में नोट (लिखे) किए गए?
8. तहसीलदार महोदय या पटवारी महोदय को किस दिनांक को, विभाजन प्रस्ताव बनाने सम्बन्धित आदेश न्यायाल उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ द्वारा भेजा गया?
9. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाने सम्बन्धित भेजे गए आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) रावला ने अपने पत्रांक आरटीआई/12 दिनांक [illegible] [illegible] अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री लक्ष्य गहलोत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.11.2024 को आवेदन क्रमांक 4475777189472947 के द्वारा आवेदन कर सूचना चाही गई थी।

श्रीमानजी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा के पत्रांक/भू.अ.नि./2024/1964 दिनांक 02.12.2024 को जरिये रजि. डाक अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी, जिसकी प्रति संलग्न है। सूचना श्रीमानजी को आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) रावला ने अपने पत्रांक 1964 दिनांक 02.12.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रयुक्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), रावला** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना के लिए अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। आदेश की प्रति सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested